न्यायालयः–न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **रोहित बेनीवाल, आर.जे.एस.**

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या– 163/2020

CIS No. – 673/2020

CNR.NO. – RJSK100008612020

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–105/2020 पुलिस थाना सदर फतेहपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

अमराराम पुत्र दल्लाराम उम्र 26 वर्ष निवासी धारासर पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर, राजस्थान।

.......अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा–279, 304 ए भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. विद्वान अभियोजक अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री कपिल दहिया व सुश्री एकता सोनी, विद्वान अधिवक्तागण–वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक– 20.07.2026**

1– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	31.10.2020
आरोप सुनाये जाने की तिथि	31.10.2020
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	19.05.2022
बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	17.04.2026
बहस अंतिम सुनी जाने की तिथि	20.07.2026
निर्णय की तिथि	20.07.2026

2– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची–
(क) अभियोजन–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,

		चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
पी.डब्ल्यू 01	अयुब अली	चाक एफआईआर
पी.डब्ल्यू 02	मोहम्मद घीसू	लिखित रिपोर्ट, फर्द सुपुर्दगी, पंचनामा
पी.डब्ल्यू 03	अली मोहम्मद	नक्शा मौका, फर्द सुपुर्दगी
पी.डब्ल्यू 04	श्रीराम	फर्दजब्ती
पी.डब्ल्यू 05	संदीप कुमार	फर्दजब्ती
पी.डब्ल्यू 06	विद्याधर सिहं	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू 07	वेदप्रकाश	चिकित्सक साक्षी
पी.डब्ल्यू 08	मोहनराम	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्ल्यू 09	महेन्द्र सिंह	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू 10	सोहनलाल	अन्वेषण अधिकारी

3–अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची (मुताबिक बयान गवाह)–
(ख) अभियोजन–

क्र.सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	लिखित रिपोर्ट	पी 01
2	एफआईआर	पी 02
3	मोहम्मद जावेद का पंचायतनामा	पी 03
4	रसीद सुपुर्दगी लाश	पी 04
5	फर्द निरीक्षण व फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल	पी 05
6	नक्शा मौका घटनास्थल	पी 06
7	फर्दजब्ती महिन्द्रा ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 के मूल कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस	पी 07
8	महिन्द्रा ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	पी 08
9	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी 09 ए
10	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी 09
11	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट	पी 10
12	फर्दजब्ती महिन्द्रा ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028	पी 11
13	फर्दजब्ती ट्रक	पी 12
14	फर्द निरीक्षण व फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल नंबर आरजे 44 एसए 0236	पी 13
15	मैकेनिकल मुआयना करवाने बाबत तहरीर	पी 14

4– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 31.08.2020 को परिवादी मोहम्मद घीसू ने पुलिस थाना सदर फतेहपुर में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई गई कि ''दिनांक 31.08.2020 उसके छोटे भाई का लड़का मोहम्मद जावेद जो फतेहपुर से अपनी मोटरसाईकिल नंबर आरजे 44 एसए 0236 से सुजानगढ़ जा रहा था। एनएच 65 मरडाटू स्टेण्ड से आगे बलारा होटल के पास समय करीब 4 बजे पहुंचा तो सामने से एक ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को उसका चालक ट्रक को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक जाकर जावेद की साइड में चलती हुई मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे जावेद के गंभीर चोटें लगी एवं अस्पताल लेकर गये जहां उसकी मृत्यु हो गयी ''––इत्यादि, जिस पर मुकदमा नम्बर 105/2020 अन्तर्गत धारा–279, 304ए भा.दं.सं. के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा–279, 304ए भा.दं.सं के अपराध में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा –279, 304ए भा.दं.सं. के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5– अभियुक्त को धारा–279, 304ए भा.दं.सं. अपराध का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

6– अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिए गए तो उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा। अंत में कथन किया कि वह निर्दोष है,उसे झुंठा फंसाया गया है।

<u>न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी गई।</u>

7– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिये गये कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य ठोस प्रकृति की है, जिससे अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

8– उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस अंतिम तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9– प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दू पाया जाता हैः–

(1) आया दिनांक 31.08.2020 को समय करीब 4.00 पी.एम. के लगभग एनएच 65 मरडाटू स्टेण्ड से आगे बलारा होटल के पास अभियुक्त ने अपने वाहन ट्रक नम्बर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को तेज गति उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे.44 एस ए 0236 के टक्कर मार दी जिससे उस पर सवार मोहम्मद जावेद की दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई?

(2) यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या हो?

10– उक्त विचारणीय बिन्दु के क्रम में **संग्राम सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1990 (2) RLR 726** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना होगा कि क्या प्रश्नगत घटना के समय प्रश्नगत वाहन ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को अभियुक्त अमराराम चला रहा था। यदि अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटना के समय उस स्थान पर प्रश्नगत वाहन को अभियुक्त चला रहा था तो उसके पश्चात ही तत्समय उक्त वाहन को चलाया जाने के संबंध में अभियुक्त ने कोई उत्तावलापन बरती या नहीं, के संबंध में विचार किया जाना न्यायोचित होगा। यदि अभियोजन यह साबित करने में सफल होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन अभियुक्त द्वारा उत्तावलापन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था तो ही उक्त दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु कारित होने के संबंध में अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराया जाएगा अन्यथा नहीं।

11– इस प्रकरण का उद्भव परिवादी मोहम्मद घीसू की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 से हुआ है जिसमें परिवादी ने दुर्घटना वाहन ट्रक नम्बर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 द्वारा किया जाना उल्लेखित कर चालक का नाम अंकित नहीं किया है। इस संबंध में परिवादी पी.डब्लू–2 मोहम्मद घीसू ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 31.08.2020 को शाम को 4 बजे उसे फोन पर सूचना मिली कि उसके भाई के लड़के जाबिद का फतेहपुर रोड पर स्थित बलारा होटल के पास एक्सीडेंट हो गया है और टेंकर चालक ने लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मार दी जिससे जावेद गंभीर रूप से घायल हो गया एवं जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। टक्कर मारने वाले ट्रक के नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 है। उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 सदर थाने में पेश की, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मृतक की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 बनाया, बाद पोस्टमार्टम फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–4 है

एवं फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–5 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जिस समय दुर्घटना हुई उस समय वह सुजानगढ़ में था एवं प्रदर्श पी –1 उसकी कलमी नहीं है तथा उसने एक्सीडेंट नहीं देखा व ना ही उसने मौके पर कोई गाड़ी देखी और उसने ड्राइवर अमराराम को कभी नहीं देखा।

12– गवाह पी.डब्ल्यू 1 अयुब अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 31.08.2020 को वह पीएस सदर फतेहपुर में एएसआई के पद पर आईसी थाना इंचार्ज था। उस दिन एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी –1 एचसी राजेन्द्र ने उसे लाकर दी जिसके आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 दर्ज की एवं दर्ज करने के पश्चात् पत्रावली अनुसंधान हेतु सोहनलाल एचसी को सुपुर्द कर दी। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि इस प्रकरण में उसने कोई अनुसंधान नहीं किया।

13– गवाह पी.डब्ल्यू 3 अली मोहम्मद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब दो ढाई साल पहले जाबिद की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गयी थी जिसकी लाश का सीएचसी फतेहपुर में पंचनामा प्रदर्श पी–3 बनाया। बाद पोस्टमार्टम लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी–4 उन्हें सुपुर्द की। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि नक्शा मौका में दर्शित हालात उसके द्वारा नहीं बताये गये थे और ना ही आज उसे पता है एवं प्रदर्श पी–6 पर उसके पुलिस वालों ने हस्ताक्षर करवाये थे जिसमें क्या लिखा था उसे पता नहीं है।

14– गवाह पी.डब्ल्यू 4 श्रीराम व पी.डब्ल्यू 5 संदीप ने अपनी मुख्य परीक्षा में एकसमान कथन किया है कि वे दिनांक 03.09.2020 को पीएस सदर फतेहपुर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन सोहनलाल एचसी ने मुकदमा नंबर 105/20 में एक ट्रक जीजे 12 बीडब्ल्यू 8208 के मूल दस्तावेज बतौर वजह सबूत जब्त किये थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–7 पर ए से बी व सी से डी उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त जब्ती थाना परिसर में की गयी थी। दौराने जिरह गवाह पी.डब्ल्यू 4 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था एवं गवाह पी.डब्ल्यू 5 ने दौराने जिरह कथन किया कि उक्त कागजात दुर्घटना के कितने दिन बाद जब्त किये उसे पता नहीं है।

15– गवाह पी.डब्ल्यू 6 विद्याधर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 03.09.2020 को पीएस सदर फतेहपुर में कांस्टेबल चालक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 105/20 में जब्तशुदा वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 12 बीडब्ल्यू 8028 का मैकेनिकल मुआयना किया था जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 है। इसी मुकदमे में जब्तशुदा मोटरसाईकिल नंबर आरजे 44 एसए 0236 का भी मैकेनिकल मुआयना किया था जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 है जिस पर ई से एफ उसकी रिपोर्ट व ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

16– गवाह पी.डब्ल्यू 7 वेदप्रकाश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनाक 31.08.2020 को सीएचसी फतेहपुर में मेडिकल ज्युरिष्ट के पद पर तैनात था। उस दिन राजेन्द्र सिंह एचसी पीएस सदर फतेहपुर की तहरीर पर मृतक मोहम्मद जावेद के शरीर का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 है जिस पर ई से एफ चोटों का विवरण व सी से डी उसकी मृत्यु बाबत राय तथा ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

17– गवाह पी.डब्ल्यू 8 मोहनराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 31.08.2020 को वाहन संख्या जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को मुख्तयार नाम खास था। उसके इस वाहन को घटना की दिनांक को चालक कौन था उसे पता नहीं है उक्त गवाह ने पक्षद्रोही होकर अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में कथन किया कि पुलिस ने उसे धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी–10 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–7, 10 व 11 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये, इसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं है।

18– गवाह पी.डब्ल्यू 9 महेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 01.09.2020 को थाना सदर फतेहपुर में हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मालखाना का चार्ज भी उसके पास था। उस दिन मुकदमा नंबर 105/2020 में सोहनलाल एचसी ने एक ट्रक जब्त करके पेश किया था जिसका अंकन उसने मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 191 पर दर्ज किया था जो प्रदर्श पी–12 है। दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 191 के अनुसार ट्रक को कितनी तारीख को जब्त किया था वह नहीं बता सकता।

19– गवाह पी.डब्ल्यू 10 सोहनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 31.08.2020 को उक्त मुकदमे का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया। गवाहान घीसू, सरफराज के बयान उनके कहे अनुसार लिए। परिवादी की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 बनाया जिस पर जी से एच उसके, ए से एफ गवाहान के साईन है। मतृक जावेद का पंचनामा व सुपुर्दगी लाश व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल किए जो प्रदर्श पी 3, 4 व 9 है। फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल नंबर आर 44 एसए 0236 का निरीक्षण कर परिवादी को सुपुर्द की। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 13 पर जी से एच उसके व ए से एफ गवाहान के साईन है। ट्रक की आरसी, इन्श्योरेन्स, परमिट व चालक अमराराम का डीएल बतौर वजद सबूत जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 व 7 बनाई, जिस पर सी से डी व जी से एच उसके साईन है। एमटीओ की तहरीर प्रदर्श पी 14 पर ए से उसके साईन है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल की। वाहन स्वामी मोहनराम को धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 10 दिया जिस पा ई से एफ उसके, ए से बी स्वामी के साईन, सी से डी जवाब है जिसमें वक्त दुर्घटना चालक अमराराम को होना बताया है। मालखाना रजिस्टर के प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल की। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित माना, जिसकी चार्जशीट बाद अनुसंधान थानाधिकारी करण सिंह को पेश की, जिसका आरोप पत्र थानाधिकारी ने पेश किया। दौरान जिरह गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि नेशनल हाईवे पर बीच में एक डिवाइडर है एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 में क से ख के बीच में डिवाइडर को क्रोस करके दूसरी दिशा में नहीं गया था एवं मृतक मोहम्मद जावेद के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उक्त दुर्घटना किसकी लापरवाही से घटित हुई वह नहीं बता सकता।

20– इस प्रकार अभियुक्त पर दिनांक 31.08.2020 को वाहन ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल नंबर आरजे 44 एसए 0236 के टक्कर मारकर चालक मोहम्मद जावेद की मृत्यु कारित करने का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू 2 को बतौर कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परीक्षित करवाया है। परन्तु उक्त गवाह अपने बयानों में स्पष्ट कथन करता है कि उसे फोन पर सूचना मिली कि उसके भाई के लड़के जावेद का एक्सीडेंट हो गया है, टैंकर चालक ने उसके टक्कर मार दी है। गवाह अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन करता है कि जब घटना हुई वह सुजानगढ़ में था। उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा और ड्राइवर अमराराम को भी कभी पहले नहीं देखा। अतः उक्त गवाह के कथनों से स्पष्ट है कि

गवाह ने घटना होते हुए नहीं देखी। अतः उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

21– अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त गवाह के अतिरिक्त किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू 10 प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जिस द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किये जाने का कथन किया है। परन्तु गवाह अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि घटनास्थल नेशनल हाईव है जिसके बीच में डिवाइडर है। गवाह यह भी कथन करता है कि अभियुक्त डिवाइडर पार करके गलत दिशा में नहीं गया था। यह भी कथन करता है कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से घटित हुई वह नहीं बता सकता। अतः इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में असफल रहा है कि वक्त घटना दुर्घटनाग्रस्त वाहन नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को अभियुक्त अमराराम द्वारा ही चलाया जा रहा था।

22– उक्त समस्त गवाहों के बयानों का सम्मिलित रूप से अवलोकन किया जाए गवाह पी.डब्ल्यू 2 मोहम्मद घीसू लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 देने का कथन करता है किन्तु घटना कारित करने वाले ट्रक के चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। गवाह पी.डब्ल्यू 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का साक्षी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू 3 नक्शा मौका है जिसने अपने समक्ष नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाये जाने का कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू 4 व 5 फर्दजब्ती के साक्षी हैं जिन्होंने उक्त ट्रक को जब्त किये जाने का कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू 6 विद्याधर सिंह उक्त ट्रक का मैकेनिकल मुआयना करने का साक्षी है एवं गवाह पी.डब्ल्यू 9 मालखाना इंचार्ज है तथा गवाह पी.डब्ल्यू 10 प्रकरण का अन्वेषण अधिकारी है जिसने उक्त प्रकरण में अन्वेषण किये जाने की साक्ष्य दी है। उक्त किसी भी गवाह के कथनों से इस तथ्य की ताईद नहीं है कि वक्त घटना क्षतिग्रस्त वाहन संख्या जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 अभियुक्त अमराराम द्वारा ही संचालित किया जा रहा था।

23– अतः प्रकरण में समस्त गवाहान के बयानों का सम्मिलित रूप से अवलोकन किया जाए तो उसमें से किसी भी गवाह ने वक्त घटना वाहन अभियुक्त द्वारा चलाए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि वक्त घटना क्षतिग्रस्त वाहन ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को अभियुक्त अमराराम द्वारा ही चलाया जा रहा हो।

24– दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो प्रदर्श 10 धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस है जो कि

जब्तशुदा वाहन ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 के स्वामी मोहनराम को भेजा गया था जिसके जवाब में मोहनराम ने कथन किया है कि ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 का वह मुख्तियारनामा खास है एवं दिनांक 31.08.2020 को उक्त वाहन को अमराराम चला रहा था। परन्तु इस संबंध में देखा जाए तो अभियुक्त अमराराम द्वारा धारा 313 सीआरपीसी के बयानों में उक्त नोटिस प्रदर्श पी10 के जवाब को को गलत होना बताया है एवं गवाह पी.डब्ल्यू 8 मोहनराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त वाहन को घटना की दिनांक को कौन चला रहा था उसे पता नहीं होने का कथन किया है। ऐसे में प्रदर्श पी 10 की ताईद नहीं होती है। अतः मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि वक्त दुर्घटना वाहन ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को अभियुक्त ही चला रहा था।

25– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटना तो अवश्य कारित हुई है जिस कारण जावेद की मृत्यु कारित हुई जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 होती है। इस संबंध में गवाह पी.ड.– 7 डॉ वेदप्रकाश को परीक्षित करवाया गया जिन्होंने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 तैयार की जिसकी ताईद गवाह पी.ड.– 7 डॉक्टर वेदप्रकाश के बयानों से भी होती है। परन्तु उक्त प्रदर्शित दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा वाहन ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 से दुर्घटना कारित की गई हो जिस कारण से मृतक मोहम्मद जावेद की मृत्यु हुई हो।

26– चूंकि अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं कर पाया है कि घटना के समय प्रश्नगत वाहन ट्रक नंबर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 का चालक अभियुक्त अमराराम ही था, तो ऐसे में न्यायालय के मत में प्रकरण में परीक्षित गवाहों के साक्ष्यों व प्रलेखीय साक्ष्यों का अभियुक्त द्वारा वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन को उत्तावलापन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाये जाने के संबंध में विस्तृत विवेचन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

27– अतः अभियोजन पक्ष अपने समस्त मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 31.08.2020 को समय करीब 4.00 पी.एम. के लगभग एनएच 65 मरडाटू स्टेण्ड से आगे बलारा होटल के पास अभियुक्त ने अपने वाहन ट्रक नम्बर जीजे 12 बीडब्ल्यू 8028 को तेज गति उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव

जीवन संकटापन्न कारित करते हुए मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे.44 एस ए 0236 के टक्कर मार दी जिससे उस पर सवार मोहम्मद जावेद की दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। अतः अभियुक्त अमराराम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304A भा.द.सं. के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ः:ःआदेशःः–

28– परिणामतः अभियुक्त अमराराम पुत्र दल्लाराम उम्र 26 वर्ष निवासी धारासर पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर, राजस्थान को आरोपित अपराध अतंर्गत धारा 279, 304A भा.द.सं. के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के हाजिरी बाबत पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर स्वतंत्र किया जाता है। अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 6 माह की अवधि के लिए 10,000/– रूपये का मुचलका व इसी राशि का एक जमानत पत्र इस आशय का पेश करे कि वह इस निर्णय के विरूद्ध अपील/याचिका होने पर एवम् उसको नोटिस प्राप्त होने पर वह माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो जावेगा।

29– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया हुआ है जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे जिनके सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझी जावें।

(रोहित बेनीवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर, जिला सीकर

30– निर्णय आज दिनांक 20.07.2026 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(रोहित बेनीवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर, जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.23 10:16:18 IST